17.07.2020.

Dr. Purnima Singh
B.A part. II Paper III Indian Government and politics Department of Political Science. Topic - Executive in a parliamentary system. Lecture - 68

संसदीय सरकार में कार्यपालिका - 1

Executive in a Parliamentary System. 1

संविधान सभा के सदस्यों के सामने अनेक समस्याओं में से एक महत्त्वपूर्ण समस्या यह भी थी कि सरकार को (राजनीतिक ढाँचा) कौन - सा रूप अपनाया जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत ब्रिटेन की संसदीय, अमेरिका की राष्ट्रपति और स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका पद्धतियों में से किसी एक का चयन करना था। इस प्रणाली के अन्तर्गत कार्यपालिका के दो रूप होते हैं- एक को नाममात्र कार्यपालिका (Nominal Executive) और दूसरे को वास्तविक कार्यपालिका (Real Executive) कहा जाता है। नाममात्र कार्यपालिका से अभिप्राय ऐसे प्रशासक से है जिसे संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ दी जाती हैं - (All executive powers are vested in Nominal executive But in practice he is not powerful. He is just rubber stamp. परंतु व्यवहार में मुखिया प्रधानमन्त्री होता है। भारत में नाममात्र कार्यपालिका की व्यवस्था राष्ट्रपति के रूप में की गई है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होंगी। जिनका प्रयोग वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप में या अपने अधीन अधिकारियों के द्वारा होगा। परन्तु इसके साथ ही अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था भी है कि "राष्ट्रपति को सहायता व परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। जिसका मुखिया प्रधानमन्त्री होगा और राष्ट्रपति

उस परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। (There should be a Council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president who shall in the exercise of his function, act in accordance with such advice.) अनुच्छेद 74 की व्यवस्था से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में स्वतन्त्र नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुसार उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करना अनिवार्य है। इसलिए राष्ट्रपति को भारत की नाममात्र कार्यपालिका माना जाता है। दूसरी तरफ मन्त्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है, क्योंकि मन्त्रिपरिषद ही वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करती है।

संसदीय व्यवस्था अपनाने के कारण
(Factors for adopting parliamentary system)

भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाने का कोई एक कारण नहीं है। इसके कई ऐतिहासिक, राजनैतिक व आर्थिक कारण है —

(1) ऐतिहासिक अनुभव (Historical experience) — भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में संसदीय शासन-प्रणाली की आधारशिला वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा रखी जा चुकी थी। धीरे-धीरे विकसित होती हुई यह संसदीय प्रणाली सन् 1919 के भारत सरकार अधिनियम से स्पष्ट दिखाई देने लगी थी, क्योंकि इस संवैधानिक कानून ने प्रान्तों में जो द्वैध-शासन (Dyarchy) लागू किया था उसमें हस्तान्तरित विषयों का शासन संसदीय शासन प्रणाली पर ही था।

सन् 1935 के भारत सरकार एक्ट ने प्रान्तीय स्वायत्तता के माध्यम से संसदीय शासन-प्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बना दिया था।

2. उत्तरदायी सरकार (Responsible Government)- भारत में संसदीय शासन-प्रणाली अपनाने का एक कारण यह भी था कि इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका या मन्त्रिपरिषद सामूहिक रूप से जनता द्वारा चुने गए निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री तथा विधायक, सांसद जनता के प्रति जवाबदेह होते है। संविधान सभा के सदस्य वर्षों से देश में उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे थे; उनको यह सपना संसदीय सरकार में ही संभव हो सकता था।

3. शक्तिशाली और प्रभावी सरकार (Powerful and Effective Government) - संसदीय व्यवस्था में निचले सदन में (लोक सभा) में जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है वही सरकार का गठन करता है। बहुमत का समर्थन होने के कारण सरकार (कार्यपालिका का) शक्तिशाली और प्रभावी बनी रहती है, क्योंकि उसमें स्थायित्व बना रहता है और सरकार की नीतियाँ प्रभावशाली तरीके से लागू होती है।

4. व्यावहारिकता की माँग (Demand of time) भारत में संसदीय प्रणाली अपनाने का एक और कारण इसकी व्यावहारिकता है। संविधान बनाने वाले इस सच्चाई को अच्छी तरह जानते थे कि भारत जैसे अशिक्षित देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली को अपनाना कठिन है। उसमें कार्यपालिका अशिक्षित और अज्ञानी जनता को गुमराह करके निरंकुश बन सकती थी।